उत्तराखण्ड शासन

सूचना अनुभाग

संख्या- 679 / XXII /2015-1(11)2015

दिनांक : 13 अगस्त 2015

अधिसूचना

विविध

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 162 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए सूचना विभाग में इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापनों को विनियमित किये जाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तराखण्ड इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली-2015

नाम तथा प्रारम्भ : 1. (क) इस नियमावली का नाम ''उत्तराखण्ड इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली-2015'' है।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषा : 2. जब विषय या सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में :-

(क) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है।

(ख) 'महानिदेशक' से महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है और इसमे अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा वित्त एवं लेखाधिकारी भी सम्मिलित है।

उद्देश्यः 3. उत्तराखण्ड विज्ञापन नीति के उद्देश्य निम्नवत् है :

(क) उत्तराखण्ड सरकार की नीतियां, कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करना।

(ख) प्रचार-प्रसार करने हेतु संचार का माध्यम इलैक्ट्रानिक मीडिया का समुचित उपयोग करना।

(ग) विज्ञापनों को लक्षित वर्ग तक प्रभावकारी ढंग से पंहुचाना।

(घ) शासकीय विज्ञापनों की स्वीकृति, निर्गम, पात्रता सूची का निर्धारण एवं भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित करना, और

(ड.) चैनलों की सूचीबद्धता तथा विज्ञापन दर निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त दरों पर लक्षित जनसंख्या तक सरकारी योजनाओं/नीतियों का अधिकतम प्रचार-प्रसार करना है।

सूचीबद्धता के लिए संचालन समिति : 4

विज्ञापन हेतु इलैक्ट्रानिक चैनलों की सूचीबद्धता समिति द्वारा की जायेगी। समिति निम्नवत अधिकतम चार सदस्यों से संरचित होगी, अर्थात -

1. महानिदेशक
2. अपर निदेशक
3. वित्त एवं लेखाधिकारी
4. संयुक्त/उपनिदेशक/सहायक निदेशक (इलैक्ट्रानिक मीडिया प्रभारी)

समिति द्वारा चैनल को सूचीबद्ध करने की स्थिति में राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा।

समिति की बैठक : 5

नियम 04 में उल्लिखि समिति की बैठक वर्ष मं न्यूनतम दो बार जनवरी (प्रथम सप्ताह) तथा जुलाई (द्वितीय सप्ताह) में आयोजित की जायेगी। महानिदेशक अपरिहार्य परिस्थितियों में स्वविवेक से समिति की बैठक कभी भी आहूत कर सकता है।

सूचीबद्धता के लिए मापदण्ड : 6

(1) उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राज्य के समस्त विभागों/कार्यालयों द्वारा इलैक्ट्रानिक मीडिया (TV Channels) को विज्ञापन जारी करने हेतु नोडल विभाग होगा।

(2) सूचना विभाग द्वारा विभागीय दरों पर विज्ञापन दिये जाने हेतु चैनलों की सूचीबद्धता निम्नवत होगी :-

(एक) चैनल प्रतिदिन कम से कम 16 घण्टे अवधि में (प्रातः 7AM से 11 PM) न्यूनतम एक वर्ष से प्रसारित हो रहा हो।

(दो) भारत सरकार द्वारा चैनल को अपलिंक-डाउनलिंक अनुमति प्राप्त हो।

(तीन) चैनल का नियमित प्रसारण हो रहा है, के सम्बन्ध में **EMMC (GOI)** (Electronic Media Monitoring center)या राज्य के मनोरंजन कर आयुक्त की रिपोर्ट अथवा महानिदेशक द्वारा निर्धारित कोई प्रतिष्ठित संस्था की रिपोर्ट।

(चार) चैनल द्वारा उत्तराखण्ड पर आधारित न्यूनतम कुल 80 मिनट का न्यूज बुलेटिन प्रतिदिन तीन माह से प्रसारित हो रहा हो। 80 मिनट की अवधि में Talk Show/Interview तथा विज्ञापन सम्मिलित नहीं होगें।

(पॉच) चैनल/कम्पनी के आडिटर/कम्पनी सेक्रेटरी(CA) द्वारा प्रमाणित विगत एक वर्ष का विस्तृत आय-व्यय विवरण, आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

(छः) चैनल को उनकी आवेदित श्रेणी के अनुसार केबल आपरेटरों के प्रसारण अनुबंध की नोटरी प्रमाणित प्रति/ DTH से अनुबंध प्रति उपलब्ध करानी होगी।

(सात) केबल प्रसारण की सत्यता की जांच सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से सम्बन्धित जिला सूचना अधिकारी अथवा जिला मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा कराई जायेगी। सम्बन्धित जिला सूचना अधिकारी/मनोरंजन कर अधिकारी की रिपोर्ट व चैनल के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में भिन्नता होने पर अंतिम निर्णय महानिदेशक सूचना का मान्य होगा।

(आठ) सभी अभिलेखों को विभागीय इलैक्ट्रानिक मीडिया सूचीबद्धता समिति के सम्मुख रखा जायेगा।

(नौ) यदि समिति द्वारा चैनल को सूचीबद्ध नहीं किया जाता है तो निर्णय के 15 दिन के भीतर चैनल को सूचित किया जायेगा।

(दस) नया सूचीबद्ध चैनल तीन वर्ष के लिये सूचीबद्ध किया जायेगा। सूचीबद्धता समाप्त होने के 6 माह के पूर्व चैनल को पुनः आवेदन करना होगा।

(ग्यारह) चैनल के नाम अथवा मालिकाना हक में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में सूचना विभाग को पूर्व में सूचित करना अनिवार्य होगा अन्यथा सूचीबद्धता निरस्त की जा सकती है।

(बारह) सूचीबद्ध होने मात्र से चैनल को विज्ञापन दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी। महानिदेशक का निर्णय विज्ञापन दिये जाने अथवा नही दिये जाने के सम्बन्ध में अतिम निर्णय होगा।

(तेरह) सूचीबद्ध चैनल को विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापनों को निर्धारित दर पर प्रसारित किये जाने की बाध्यता होगी। यदि चैनल विभाग द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापन प्रसारित करने से इन्कार करता है तो उसकी सूचीबद्धता बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है।

<u>दर निर्धारण एवं विज्ञापन निर्गत करना 7.</u>

(1) महानिदेशक द्वारा चैनल को तीन टाइम बैण्ड में विज्ञापन निर्गत किया जायेगा।

(एक) प्राईम टाईम बैण्ड (5 PM to 11 PM)

(दो) द्वितीय टाईम बैण्ड (12 PM to 4.59 PM)

(तीन) तृतीय टाईम बैण्ड (7 AM to 11.59 AM)

महानिदेशक को निर्णय करने का अधिकार होगा कि किसी चैनल को किस टाइम बैण्ड में विज्ञापन प्रसारित कराया जाय।

(2) विभागीय दरें चार श्रेणी में होंगी :-

(क) **1200 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :**

(एक) चैनल उत्तराखण्ड के सभी जिला मुख्यालयों तथा परिशिष्ट ‘क’ में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में (जिनकी जनसंख्या 10 हजार या अधिक हो) न्यूनतम 15 क्षेत्रों में केबल टीवी पर प्रसारित हो रहा हो

और

(दो) न्यूनतम 4 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो

और

(तीन) Number of OB ven न्यूनतम 1 हो, जो महानिदेशक सूचना द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यशील कर दी जाएगी।

और

(चार) Davp Empanelment अनिवार्य है।

और

(पॉच) Channel on air 24 घण्टे अनिवार्य है।

(ख) **रू. 800 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :**

(एक) 9 से 12 जिला मुख्यालयों तथा परिशिष्ट ’’क’’ में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 10 क्षेत्रों में केबल टी वी पर प्रसारित हो रहा हो

और

(दो) न्यूनतम 3 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो

और

(तीन) Davp Empanelment अनिवार्य है।

और

(चार) Channel on air 16 घण्टे अनिवार्य है।

(ग) रू**. 400 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :**

(एक) 6 से 8 जिला मुख्यालयों तथा परिशिष्ट ’’क’’ में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 8 क्षेत्रों में केबल टी वी पर प्रसारित हो रहा हो

और

(दो) न्यूनतम 2 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो

और

(तीन) Davp Empanelment अनिवार्य है।

और

(चार) Channel on air 16 घण्टे अनिवार्य है।

(घ) **रू. 100 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :**

नियम 6 की शर्तें पूर्ण होने पर महानिदेशक सम्बन्धित चैनल को न्यूनतम दर अनुमन्य कर सकते हैं।

(एक) किसी श्रेणी के सूचीबद्व चैनल के लिए उक्त दरें प्राईम टाइम बैण्ड के लिए है। यदि किसी कैटेगरी में सूचीबद्व चैनल प्राइम टाइम बैण्ड के अलावा अन्य टाइम बैण्ड में प्रसारण करता है तो उसे उसकी सूचीबद्वता श्रेणी की दर से नीचे की श्रेणी की दरों पर भुगतान किया जायेगा।

(दो) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व विभाग में विभिन्न दरों पर सूचीबद्व चैनलों को 06 माह हेतु पुरानी दरों पर सूचीबद्व माना जायेगा। 06 माह के उपरान्त नीति में निर्धारित श्रेणी क, ख, ग, घ के अनुरूप ही पूर्व में सूचीबद्व चैनलों को सूचीबद्व कर दरें निर्धारित की जायेंगी। यह पूर्णतः चैनल का दायित्व होग कि वे विभागीय नीति के अनुरूप मानको को पूर्ण करें अन्यथा पूर्व में चली आ रही सूचीबद्वता निरस्त हो जायेगी।

(तीन) दरों में वृद्धि हेतु पुनरीक्षण कम से कम तीन वर्षो के अंतराल पर होगा। विभागीय सूचीबद्धता समिति की संस्तुति पर पुनरीक्षित दरें प्रशासकीय विभाग की अनुमति के उपरांत ही लागू होंगी। दरों में कमी हेतु विभागीय सूचीबद्धता समिति की संस्तुति पर प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्णय कभी भी लिया जा सकता है और इस हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नही होगी।

(चार) विज्ञापन फिल्मों के 15 सेकेण्ड, 25 सेकेण्ड, 35 सेकेण्ड, 45 सेकेण्ड आदि होने पर प्रोराटा आधार पर दरें लागू होंगी।

(पॉच) किसी भी चैनल को सम्पूर्ण कैम्पेन बजट के 15 प्रतिशत से अधिक एक बार में नहीं दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष में किसी एक चैनल समूह को सम्पूर्ण इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन बजट के 15 प्रतिशत से अधिक नही दिया जा सकेगा।

(छः) महानिदेशक सूचना एक बार में अधिकतम तीन करोड़ रुपये के विज्ञापन अभियान (कैम्पेन) स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे। इससे अधिक राशि का विज्ञापन अभियान राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जायेगा।

(सात) विज्ञापनों के भुगतान की अंतिम स्वीकृति महानिदेशक द्वारा दी जायेगी।

(आठ) भुगतान के पूर्व चैनल द्वारा विज्ञापन प्रसारण को प्रमाणित करने वाला Telecast Certificate और उसकी सत्यता का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इस विषय में महानिदेशक द्वारा यथावश्यकता समय-समय पर निर्देश जारी किया जायेगा।

(नौ) सामान्यतः विभाग द्वारा चैनल के विज्ञापन व्यवस्थापकों को सीधे विज्ञापन निर्गत किया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में महानिदेशक सूचना विज्ञापन जारी करने के लिये विभाग में सूचीबद्ध विज्ञापन एजेंसी की सेवा लेने का निर्णय लेने हेतु स्वतन्त्र होंगे।

(दस) यह नीति लागू होने के 6 माह के भीतर चैनलों को विज्ञापन जारी करने हेतु एडवरटाइजिंग एजेंसियों की सूचीबद्धता के लिये महानिदेशक द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(ग्यारह) DAVP दरों पर किसी भी चैनल को जो DAVP में सूचीबद्ध हो, विज्ञापन जारी करने का निर्णय लेने का अधिकार महानिदेशक सूचना का होगा और इस हेतु चैनल का विभाग में सूचीबद्ध होना आवश्यक नहीं होगा, गैर सूचीबद्व चैनल को DAVP दरों पर एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक राशि के विज्ञापन जारी करने हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

<u>विधिक परिर्वतन 8 :-</u>

(एक) भविष्य में यथा आवश्यकता उपरोक्त नियमावली में कोई संशोधन/शिथिलीकरण राज्य सरकार आदेश द्वारा कर सकेगी।

(दो) उक्त नियमावली की क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार समय-समय पर आवश्यकानुसार दिशा-निर्देश जारी कर सकेगी।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)

प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट 'क'

(जनगणना 2011 के अनुसार 10 हजार अथवा अधिक जनसंख्या के नगर)

क्र.सं.	**जनपद का नाम**	**शहर/कस्बे का नाम**	**जनसंख्या**
1	2	3	4
1	अल्मोड़ा	रानीखेत	19055
2	चमोली	जोशीमठ	13204
3	चम्पावत	टनकपुर	15811
4	देहरादून	ऋषिकेश	78805
		मसूरी	29329
		विकासनगर	12486
5	हरिद्वार	रुड़की	115278
		मंगलौर	42584
		लक्सर	18242
		लण्डौर	16036
		धण्डेरा	15288
6	नैनीताल	हल्द्वानी/काठगोदाम	158896
		रामनगर	46205
7	पौड़ी गढ़वाल	कोटद्वार	24947
		श्रीनगर	19658
8	टिहरी गढ़वाल	धालूवाला	11444
9	ऊधमसिंह नगर	काशीपुर	92967
		जसपुर	38937
		किच्छा	30503
		नगला	22947
		सितारगंज	22027
		बाजपुर	21792
		खटीमा	14335
		गदरपुर	13645